रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2018/फाल्गुन 16, 1939
No. 899] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939

India Code

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ.1006 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला उत्तर 24 परगना के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर , 24 परगना (उत्तर)	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, 24 परगना (उत्तर)	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई, 24 परगना (उत्तर)	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, 24 परगना (उत्तर)	सदस्य;
(v)	कंट्रोलर, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, 24 परगना (उत्तर), बारासात	सदस्य व संयोजक;

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	ऑफिसर इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स, 24 परगना (उत्तर)	सदस्य;
(ii)	चेयरमेन, भाटपाड़ा म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iii)	चेयरमेन, खड़दह म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iv)	प्रोफेसर शिलांजन भट्टाचार्जी, जुलोजी स्टडीज़, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जाधवपुर, कोलकाता-700132 (पर्यावरणविद)	सदस्य;

(v) डॉ. कृष रे, बॉटनी एंड बायोकेमेस्ट्री, बारासात स्टेट यूनिवर्सिटी, बारासात, पश्चिम बंगाल-700126 (पर्यावरणविद) सदस्य;

(vi) श्री मोनिश पोद्दार, चेयरमेन, इंडियन जूट मिल एसोशिएशन, 6, नेताजी सुभाष रोड, डलहौजी, कोलकाता-700001 सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1006(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District North 24 Parganas of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i) District Magistrate and Collector, 24 Parganas (North) - Chairperson;

(ii) Executive Engineer, Public Works Department, 24 Parganas (North) - Member;

(iii) Executive Engineer, Irrigation, 24 Parganas (North) - Member;

(iv) Executive Engineer, Public Health Engineering Department, 24 Parganas (North) - Member;

(v) Controller, West Bengal Pollution Control Board - Member;

(vi) Divisional Forest officer, 24 Parganas (North), Barasat - Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i) The Officer In Charge, Department of Municipal Affairs, 24 Parganas (North) - Member;

(ii) Chairman, Bhatpara Municipality - Member;

(iii) Chairman, Khardah Municipality - Member;

(iv) Prof. Shilanjan Bhattacharjee, Zoology Studies, Jadavpur University, Jadavpur, Kolkata-700132 (Environmentalist) - Member;

(v) Dr. Krisha Ray, Botany and Biochemistry, Barasat State University, Barasat, West Bengal-700126 (Environmentalist) - Member;

(vi) Shri Monish Poddar, Chairman, Indian Jute Mill Association, 6, Netaji Subhas Road, Dalhousie, Kolkata-700001 - Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1007(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला हावड़ा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, हावड़ा	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, हावड़ा प्रमंडल, लोक निर्माण विभाग	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, हावड़ा प्रमंडल, सिंचाई	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, हावड़ा	सदस्य;
(v)	पर्यावरण अभियंता, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हावड़ा	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, हावड़ा प्रमंडल	सदस्य व संयोजक;

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	डिप्टी मजिस्ट्रेट इंचार्ज, म्युनिसिपल अफेयर्स, हावड़ा	सदस्य;
(ii)	हावड़ा म्युनिसिपल कार्पोरेशन के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	मेनेजर, नेशनल अर्बन लाईवलीहूड मिशन (एन.यू.एल.एम.), उलूबेड़िया म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iv)	प्रोफेसर चंचल मजूमदार, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीन्यरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीन्यरिंग साइन्स एंड टेक्नोलोजी, पो. ओ. - बोटनिकल गार्डेन, हावड़ा, शिबपुर-711103 (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	प्रोफेसर अशोक अदक, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीन्यरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीन्यरिंग साइन्स एंड टेक्नोलोजी, पो. ओ. - बोटनिकल गार्डेन, हावड़ा, शिबपुर-711103 (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(vi)	श्री शंकर सन्याल, प्रेसिडेंट, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, लक्ष्मी निकेतन, 243 जी.टी. रोड, लिलुआ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711204	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1007(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Howrah of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate and Collector, Howrah	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Howrah Division, Public Works Department	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Howrah Division, Irrigation	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering, Howrah	- Member;
(v)	Environmental Engineer, West Bengal Pollution Control Board, Howrah	- Member;
(vi)	Divisional Forest Officer, Howrah Division	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Deputy Magistrate In-charge, Municipal Affairs, Howrah	- Member;
(ii)	Representative from Howrah Municipal Corporation	- Member;
(iii)	Manager, National Urban Livelihood Mission (NULM), Uluberia Municipality	- Member;
(iv)	Prof. Chanchal Majumder, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Engineering Science And Technology, P.O-Botanical Garden, Howrah,Shibpur-711103 (Environmentalist)	- Member;
(v)	Prof. Ashok Adak, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Engineering Science And Technology, P.O-Botanical Garden, Howrah, Shibpur-711103 (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Sankar Sanyal, President, Chamber of Commerce, Laxmi Niketan, 243 G.T Road, Liluah, Howrah, West Bengal-711204	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1008(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला मुर्शिदाबाद के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, मुर्शिदाबाद	अध्यक्ष;

(ii) कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रभाग-I, मुर्शिदाबाद — सदस्य;

(iii) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई, मुर्शिदाबाद — सदस्य;

(iv) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मुर्शिदाबाद — सदस्य;

(v) कार्यपालक अभियंता (पर्यावरण) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — सदस्य;

(vi) वन प्रमंडल अधिकारी, मुर्शिदाबाद — सदस्य व संयोजक;

(ख) नामित सदस्यगण:

(i) सचिव ज़िला परिषद, मुर्शिदाबाद — सदस्य;

(ii) अध्यक्ष, बेलडांगा मुनिसपलटी, मुर्शिदाबाद — सदस्य;

(iii) प्रो. भास्कर महायानक, बहरमपुर गर्ल्स कालेज, आर. एन. टैगोर रोड, गोरा बाज़ार, बहरमपुर, पश्चिम बंगाल-742101 (पर्यावरणविद) — सदस्य;

(iv) शेख हसनुज जम्मा, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रभाग-I, मुर्शिदाबाद-742101(पर्यावरणविद) — सदस्य;

(v) श्री दिलीप साहा, अध्यक्ष, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट राइस मिल एसोशिएशन, मुर्शिदाबाद-742101 — सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1008(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Murshidabad of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:

(A) Ex-officio Members:

(i) District Magistrate and Collector, Murshidabad

(ii) Executive Engineer, Public Works Department, Division-I, Murshidabad - Member;

(iii) Executive Engineer, Irrigation, Murshidabad - Member;

(iv) Executive Engineer, Public Health Engineering, Murshidabad - Member;

(v) Executive Engineer (Environment), West Bengal Pollution Control Board - Member;

(vi) Divisional Forest Officer, Murshidabad - Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i) Secretary Zilla Parishad, Murshidabad - Member;

(ii) Chairman, Beldanga Municipality, Murshidabad - Member;

(iii)	Professor Bhaskar Mahayanak, Baharampur Girls' College, R. N Tagore Road, Gora Bazaar, Baharampur, West Bengal-742101 (Environmentalist)	- Member;
(iv)	Sk. Hasanuj Jamma, Executive Engineer, Public Works Department, Div-I, Murshidabad-742101 (Environmentalist)	- Member;
(v)	Shri. Dilip Saha, President, Murshidabad District Rice Mill association, Murshidabad-742101	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

IndiaCode

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1009(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला मालदा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट, मालदा	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मालदा	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, मालदा	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (आर्सेनिक डिवीजन)	सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मालदा	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, मालदा	सदस्य व संयोजक.

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	प्रभारी अधिकारी, सेनिटेसन	सदस्य;
(ii)	अध्यक्ष, इंगलिश बाज़ार म्युनिसपलटी	सदस्य;
(iii)	डॉ. अनुराधा सेनगुप्ता, मालदा (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(iv)	डॉ. स्वदेश पाल, सहायक प्रोफेसर, भूगोल बिभाग, गौर बंग यूनिवर्सिटी, मकदूमपुर, मालदा, पश्चिम बंगाल-732103 (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	श्री उज्जल साहा, सचिव, मालदा मर्चेन्ट चेम्बर ऑफ कॉमर्स, बणिज्य भवन, संकोपाड़ा , रथबाड़ी, मालदा-732101	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1009(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Malda of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate, Malda	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department, Malda	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation & Waterways Department Malda	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering (Arsenic Division)	- Member;
(v)	Executive Engineer, West Bengal Pollution Control Board Board, Malda	- Member;
(vi)	Divisional Forest Officer, Malda	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Officer in Charge, Sanitation	- Member;
(ii)	Chairman, English Bazar Municipality	- Member;
(iii)	Dr. Anuradha Sengupta, Malda (Environmentalist)	- Member;
(iv)	Dr. Swades Pal, Assistant Professor, Department of Geography, Gour Banga University, Mokdumpur, Malda, West Bengal-732103 (Environmentalist)	- Member;
(v)	Shri Ujjal Saha,Secretary, Malda, Merchant Chamber of Commerce, Banijya Bhawan, Sankopara, Rathbari, Malda-732101	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ.1010 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला दक्षिण 24 परगना के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण 24 परगना	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, डायमंड हार्बर हाइवे डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, दक्षिण 24 परगना	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, नहर प्रमंडल सिंचाई एवं जल	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दक्षिण 24 परगना	सदस्य;
(v)	पर्यावरण अभियंता, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीपुर	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, दक्षिण 24 परगना	सदस्य व संयोजक.

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी, दक्षिण 24 परगना	सदस्य;
(ii)	चेयरमेन, महेशतल्ला म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iii)	चेयरमेन,राजपुर सोनारपुर म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iv)	श्री प्रह्लाद गोयंका, सेक्रेटरी, गंगा मिसन (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	प्रोफेसर सौगता हाज़रा, प्रोफेसर एंड डाइरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ ओसोनोग्राफिक स्टडीज, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जाधवपुर -700132 (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(vi)	श्री संजय मल, मैसर्स फाइबरफिल, बसंती	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1010(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as

IndiaCode

the District Ganga Protection Committee for District South 24 Parganas of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate, South 24 Parganas	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Diamond Harbour Highway Division, Public Works Department, South 24 Parganas	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Canal Division, Irrigation & Water	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering, South 24 Parganas	- Member;
(v)	Environmental Engineer, West Bengal Pollution Control Board, Alipore	- Member;
(vi)	Divisional Forest Officer, South 24 Parganas	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	District Panchayat and Rural Development Officer, South 24 Parganas	- Member;
(ii)	Chairman, Maheshtala Municipality	- Member;
(iii)	Chairman, Rajpur Sonarpur Municipality	- Member;
(iv)	Shri Prahlad Goenka, Secretary, Ganga Mission (Environmentalist)	- Member;
(v)	Professor Sugata Hajra, Professor and Director of School of Oceanographic Studies, Jadavpur University, Jadavpur-700132 (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Sanjay Mal, M/s. Fibrefill, Basanti	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

IndiaCode

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1011 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला नदिया के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट, नदिया	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नदिया प्रभाग	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, नदिया	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, आर्सेनिक प्रभाग-II, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नदिया	सदस्य;
(v)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, नदिया	सदस्य व संयोजक;

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	अपर जिला मजिस्ट्रेट (जिला परिषद), नदिया	सदस्य;
(ii)	अध्यक्ष, नबद्वीप म्युनिसपलटी	सदस्य;
(iii)	अध्यक्ष, चकदह म्युनिसपलटी	सदस्य;
(iv)	श्री नीलमेश राय चौधुरी, एक्स प्रोफेसर, बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	श्रीमती बानी सरस्वती, सचिव श्रीमा महिला समिति, एस एच-3, दत्तापुलिया, पश्चिम बंगाल -741504 (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(vi)	श्री गोकुल बिहारी साहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1011(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Nadia of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(C) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate, Nadia	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department, Nadia Division	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation and Water Department, Nadia	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Arsenic Division-II, Public Health Engineering Department, Nadia	- Member;
(v)	Representative of Pollution Control Board	- Member;
(vi)	Divisional Forest Officer, Nadia	- Member and Convenor;

(D) Nominated Members:

(i)	Additional District Magistrate (Zila Parishad), Nadia	- Member;
(ii)	Chairman, Nabadwip Municipality	- Member;
(iii)	Chairman, Chakdah Municipality	- Member;
(iv)	Shri Nilimesh Roy Chowdhury, Ex Professor, Bidhan Chandra Krishi Vishyavidyalaya (Environmentalist)	- Member;
(v)	Smt. Bani Saraswati, Secretary, Sreema Mahila Samity, SH-3, Duttapulia, West Bengal-741504 (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Gokul Behari Saha, Joint Secretary, Chamber of Commerce, Industry and Trade	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1012 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला हुगली के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, हुगली	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हुगली	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई, हुगली	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य;
(v)	पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अभियंता / प्रतिनिधि, दानकुनी	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, हुगली एवं हावड़ा	सदस्य व संयोजक;

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी, हुगली	सदस्य;
(ii)	मेयर, चन्दन नगर म्युनिसिपल कार्पोरेशन	सदस्य;
(iii)	चेयरमेन,उत्तरपाड़ा-कोटरंग म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iv)	मिस देबिका चक्रबर्ती, हुगली जिला पर्यावरण कमेटी (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	पोप्पि मुस्तफ़ी, हुगली जिला पर्यावरण कमेटी (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(vi)	श्री एस.एस.गोयल, सेक्रेटरी ऑफ हुगली चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, 6 गर्स्टिन प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1012(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Hooghly of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate and Collector, Hooghly	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department, Hooghly	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation, Hooghly	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering	- Member;
(v)	Engineer/Representative of West Bengal Pollution Control Board, Dankuni	- Member;
(vi)	Divisional Forest Officer, Hooghly and Howrah	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	District Panchayat & Rural Development Officer, Hooghly	- Member;
(ii)	Mayor, Chandannagar Municipal Corporation	- Member;
(iii)	Chairman, Uttarpara- Kotrung Municipality	- Member;
(iv)	Ms. Debika Chakraborty, Hooghly Zilla Prajavaran Committee (Environmentalist)	- Member;
(v)	Poppi Mustafi, Hooghly Zilla Prajavaran Committee (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri R.S. Goyel, Secretary of Hooghly Chamber of Commerce and Industries, 6 Garstin Place, 3rd floor, Kolkata, West Bengal-700001	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1013 (अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला पूर्व मेदिनीपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट, पूर्व मेदिनीपुर	अध्यक्ष;

(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सड़क), तमलुक	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई, पूर्व मेदिनीपुर प्रमंडल	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, तमलुक प्रभाग	सदस्य;
(v)	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, पूर्व मेदिनीपुर	सदस्य व संयोजक;

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	प्रभारी अधिशासी अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्व मेदिनीपुर	सदस्य;
(ii)	चेयरमेन, तमलुक म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iii)	चेयरमेन, हल्दिया म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iv)	प्रोफेसर दिलीप राय (रिटायर्ड) / सेक्रेटरी तमलुक फ्लावर लवर्स एसोशिएशन (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	श्री तरुण सामंता, मेम्बर, मेछेदा ह्यूमन रिसोर्स डेव्लपमेंट सोसाइटी (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(vi)	श्री ए. के. डे, ज़ोनल हेड, कोन्फिडरेसन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ (सी.आइ.आइ.)	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1013(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Purba Medinipur of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate, Purba Medinipur	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department (Roads), Tamluk	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation, Purba Medinipur Division	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering, Tamluk Division	- Member;
(v)	Sr. Environmental Engineer, West Bengal Pollution Control Board	- Member;
(vi)	Divisional Forest Officer, Purba Medinipur	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Executive Officer In Charge, Pollution Control Board, Purba Medinipur	- Member;
(ii)	Chairman, Tamluk Municipality	- Member;

IndiaCode

(iii)	Chairman, Haldia Municipality	- Member;
(iv)	Prof. Dilip Roy (retired)/ Secretary, Tamluk Flower Lovers' Association (Environmentalist)	- Member;
(v)	Shri Tarun Samanta, Member Mecheda Human Resource Development Society (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri A. K Dey, Zonal Head, Confederation of Indian Industry(CII)	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1014 (अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला पूर्ब बर्धमान के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला मजिस्ट्रेट, पूर्ब बर्धमान	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता-I, लोक निर्माण विभाग, बर्धमान प्रमंडल, पूर्ब बर्धमान	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई, बर्धमान प्रमंडल	सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बर्धमान प्रमंडल	सदस्य;
(v)	पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दुर्गापुर	सदस्य;
(vi)	वन प्रमंडल अधिकारी, बर्धमान प्रमंडल	सदस्य व संयोजक;

(ख) नामित सदस्यगण:

(i)	डिस्ट्रिक्ट प्लानर, पूर्ब बर्धमान	सदस्य;
(ii)	चेयरमेन, कलना म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iii)	चेयरमेन, कटवा म्युनिसिपलिटी	सदस्य;
(iv)	प्रोफेसर बिप्लब बिस्वास, बर्धमान यूनिवर्सिटी, बर्धमान-713104 (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	प्रोफेसर श्रीमंता गुप्ता, बर्धमान यूनिवर्सिटी, बर्धमान-713104 (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(vi)	श्री सुब्रता मण्डल, सेक्रेटरी पूर्ब बर्धमान डिस्ट्रिक्ट राइस मिल ऑनर्स एसोशिएसन, 43 कलना रोड, अपोज़िट औरोबिंदो स्टेडियम, बर्धमान, पश्चिम बंगाल-713101	सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेसानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1014(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Purba Bardhaman of the State of West Bengal, comprising of the following members, namely:-

(C) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate, Purba Bardhaman	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer-I, Public Works Department, Bardhaman Division	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation, Bardhaman Division	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering, Bardhaman Division	- Member;
(v)	Environmental Engineer, Pollution Control Board, Durgapur	- Member;
(vi)	Divisional Forest Officer, Bardhaman Division	- Member and Convenor;

(D) Nominated Members:

(i)	District Planner, Purba Bardhaman	- Member;
(ii)	Chairman, Kalna Municipality	- Member;
(iii)	Chairman, Katwa Municipality	- Member;
(iv)	Prof. Biplab Biswas, Bardhaman University, Bardhaman-713104 (Environmentalist)	- Member;
(v)	Prof. Sreemanta Gupta, Bardhaman University, Bardhaman-713104 (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Subrata Mondal, Secretary, Purba Bardhaman District Rice Mill Owners' Association, 43 Kalna Road, Opposite Sri Aurobinda Stadium, Bardhaman, West Bengal-713101.	- Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.12 11:18:01 +05'30'